

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 707 / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रामाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी राणेरी, कमठाई, तहसील सिणधरी, बाड़मेर		1. हनुमानराम पुत्र गोर्धनराम उम्र 47 वर्ष 2. केहरी पत्नि गोर्धनराम उम्र 82 वर्ष 3. खेमाराम पुत्र गेनाराम उम्र 70 वर्ष 4. थानाराम पुत्र गेनाराम उम्र 62 वर्ष 5. विरधाराम पुत्र गेनाराम उम्र 72 वर्ष 6. कोहलाराम पुत्र हेमाराम उम्र 72 वर्ष 7. सताराम पुत्र गोमाराम उम्र 55 वर्ष 8. अणदूदेवी पुत्री मेहराराम उम्र 80 वर्ष 9. टीकूराम पुत्र मेहराराम उम्र 55 वर्ष 10. सिमरथाराम पुत्र मेहराराम उम्र 57 वर्ष 11. हरजीराम पुत्र मेहराराम उम्र 60 वर्ष 12. हिन्दुराम पुत्र मेहराराम उम्र 75 वर्ष 13. नैनाराम पुत्र केसाराम उम्र 45 वर्ष 14. बाबूराम पुत्र केसाराम उम्र 40 वर्ष 15. पांचाराम पुत्र खेताराम उम्र 70 वर्ष 16. तेजाराम पुत्र खेताराम उम्र 80 वर्ष 17. सवाईराम पुत्र पन्नाराम उम्र 50 वर्ष 18. चुतराराम पुत्र पन्नाराम (फौत के कायम मुकाम) 18 / 1 - बबरीदेवी पत्नि चुतराराम उम्र 65 वर्ष 18 / 2 - रड़मलराम पुत्र चुतराराम उम्र 30 वर्ष 18 / 3 - शान्ती पुत्री चुतराराम उम्र 25 वर्ष 18 / 4 - सुआ पुत्री चुतराराम उम्र 29 वर्ष 18 / 5 - गीगीदेवी पुत्री चुतराराम उम्र 27 वर्ष 19. लीलादेवी पुत्री हमीराराम उम्र 45 वर्ष जातियान जाट निवासी राणेरी, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 20. आदूराम पुत्र पांचाराम उम्र 60 वर्ष 21. पेमाराम पुत्र पांचाराम उम्र 55 वर्ष 22. सरदाराराम पुत्र पांचाराम उम्र 50 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



23. आम्बूदेवी पत्नि पांचाराम उम्र 80 वर्ष
24. ठाकराराम पुत्र खीमाराम उम्र 20 वर्ष
25. देराजराम पुत्र खीमाराम उम्र 24 वर्ष
26. पारसराम पुत्र खीमाराम उम्र 18 वर्ष
27. शांतिदेवी पत्नि खीमाराम उम्र 45 वर्ष जातियान राईका निवासी राणेरी, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
28. समस्थाराम पुत्र मगाराम उम्र 30 वर्ष
29. खूमाराम पुत्र मगाराम उम्र 37 वर्ष
30. पुरखाराम पुत्र मगाराम उम्र 35 वर्ष
31. प्रहलादराम पुत्र मगाराम उम्र 38 वर्ष
32. रूखमों पत्नि मगाराम उम्र 70 वर्ष
33. रिधूदेवी पत्नि पूनमाराम उम्र 70 वर्ष
34. कंवराराम पुत्र पूनमाराम उम्र 35 वर्ष
35. गेनाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 40 वर्ष
36. हरजीराम पुत्र तुलसाराम उम्र 45 वर्ष
37. पीराराम पुत्र तुलसाराम उम्र 60 वर्ष
38. नन्दराम पुत्र कुंभाराम उम्र 65 वर्ष
39. मूलाराम पुत्र केहराराम उम्र 65 वर्ष जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
40. हिन्दुराम पुत्र करनाराम उम्र 58 वर्ष
41. राणाराम पुत्र करनाराम उम्र 60 वर्ष
42. रेखाराम पुत्र करनाराम उम्र 65 वर्ष
43. नवाराम पुत्र खेमाराम उम्र 42 वर्ष
44. तुलसाराम पुत्र खेमाराम उम्र 45 वर्ष
45. मुलाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 60 वर्ष
46. दीपाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 62 वर्ष
47. भंवरीदेवी पत्नि खेताराम उम्र 58 वर्ष
48. मगनीदेवी पत्नि चेनाराम उम्र 57 वर्ष
49. मंगलाराम पुत्र लालाराम उम्र 42 वर्ष
50. मेघाराम गोदपुत्र भुराराम उम्र 47 वर्ष
51. वनूदेवी पुत्री देदाराम उम्र 38 वर्ष
52. धापूदेवी पत्नि गजाराम उम्र 60 वर्ष


 सिणधरी

53. सवाईराम पुत्र खेताराम उम्र 28 वर्ष
54. मानाराम पुत्र खेताराम उम्र 26 वर्ष
55. सताराम पुत्र देदाराम उम्र 60 वर्ष
56. सुखाराम पुत्र देदाराम उम्र 58 वर्ष
57. चेनीदेवी पुत्री देदाराम उम्र 40 वर्ष
58. जेहाराम पुत्र चेनाराम उम्र 18 वर्ष
59. धनाराम पुत्र चेनाराम उम्र 25 वर्ष
60. उमी पत्नि खेमाराम उम्र 62 वर्ष
61. गुणेशाराम पुत्र चेनाराम उम्र 27 वर्ष
62. गुणेशाराम पुत्र खेताराम उम्र 26 वर्ष
- जातियान मेघवाल (भांभी) निवासी ऐवाड़ी
चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
63. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 08.12.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खेत मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 145/28, 146/31, 147/35, 149/41, 150/43, 154/65, 155/67 व 34 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1650 हैक्टेयर 2.1519 हैक्टेयर 0.7766 हैक्टेयर, 0.1133 हैक्टेयर 2.5726 हैक्टेयर, 1.9497 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 10.5413 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण बरसात के दिनों में प्रार्थी के सेढो को

(Handwritten signature and stamp)
अधिकारी

गबरदस्ती तोड़ देते है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 145/28, 146/31, 147/35, 149/41, 150/43, 154/65, 155 / 67 व 34 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1650 हैक्टेयर 2.1519 हैक्टेयर 0.7766 हैक्टेयर, 0.1133 हैक्टेयर 2.5726 हैक्टेयर, 1.9497 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 10.5413 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 145/28, 146/31, 147/35, 149/41, 150/43, 154/65, 155/67 व 34 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1650 हैक्टेयर 2.1519 हैक्टेयर 0.7766 हैक्टेयर, 0.1133 हैक्टेयर 2.5726 हैक्टेयर, 1.9497 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 10.5413 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण बरसात के दिनों में प्रार्थी के सेढो को जबरदस्ती तोड़ देते है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 145/28, 146/31, 147/35, 149/41, 150/43, 154/65, 155/67 व 34 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1650 हैक्टेयर 2.1519 हैक्टेयर 0.7766 हैक्टेयर, 0.1133 हैक्टेयर 2.5726 हैक्टेयर, 1.9497 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 10.5413 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 145/28, 146/31, 147/35, 149/41, 150/43, 154/65, 155/67 व 34 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1650 हैक्टेयर 2.1519 हैक्टेयर 0.7766 हैक्टेयर, 0.1133 हैक्टेयर 2.5726 हैक्टेयर, 1.9497 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 10.5413 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी



र से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 145/28, 146/31, 147/35, 149/41, 150/43, 154/65, 155/67 व 34 रकबा क्रमशः 1.7798 हैक्टेयर, 1.1650 हैक्टेयर 2.1519 हैक्टेयर 0.7766 हैक्टेयर, 0.1133 हैक्टेयर 2.5726 हैक्टेयर, 1.9497 हैक्टेयर, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 10.5413 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।



(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 08-12-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
निकर रकबा संख्या, ...